प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (दांडिक) क्रमांक: 889 /2009

दीपक बजाज

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं तीन अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय उद्घोषणा हेतु दिनांक 6 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक: 1680/2012

याचिकाकर्ता: संतोष कुमार देवांगन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य

2. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

3. कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव

4. थाना प्रभारी (एस.एच.ओ.)

{भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : श्री जितेन्द्र पाली, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 3 एवं 4 की ओर से।

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा

(आदेश)

(06-07-2012)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना पथरिया, जिला बिलासपुर द्वारा दिनांक 10-1-2009 को 10/2009 में पंजीकृत प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471, 409 एवं 468 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने हेतु प्रार्थना की है, साथ ही निम्नलिखित अन्य अनुतोषों की भी मांग की गई है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) उत्तरवादीगण से मामले के अभिलेख मंगाए जाने हेतु।

(ii) उत्तरवादीगण को यह निर्देश दिया जाए कि मध्यस्थता के उचित मंच के माध्यम से विवादों के निपटारे तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक/दबावकारी कदम न उठाए जाएं।

(iii) कोई भी अन्य आदेश पारित किया जाए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, जिसमें याचिकाकर्ता को वाद व्यय दिलाना भी सम्मिलित है।

2. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, याचिका; प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति; विभिन्न पत्रों की प्रतियों; भागीदारी विलेख; कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, पी.आई.यू. - 1, पी.एम.जी.एस. वाई. , बिलासपुर और मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शंस, नया बस स्टैंड, कुरूद, जिला धमतरी के बीच निष्पादित दिनांक 7-5-2007 के अनुबंध की प्रति; तथा उत्तरवादी क्रमांक 1, 3 एवं 4 की ओर से प्रस्तुत नोटिसों और जवाब का परिशीलन किया है।

3. दिनांक 7-5-2007 के अनुबंध के अनुसार, दोनों पक्षकारों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु एक समझौता किया है, जिसमें निर्माण, पूर्णता और निर्माण व पूर्णता से संबंधित विवादों के संबंध में पक्षकारों पर कई शर्तें लगाई गई हैं। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 16.1 के अनुसार, ठेकेदार/याचिकाकर्ता कंपनी विनिर्देशों और रेखाचित्रों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य थी। खंड 23.1 के अनुसार, ठेकेदार के लिए इंजीनियर के सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक था। खंड 24 के अनुसार, पक्षकारों के लिए मध्यस्थ के पास जाना आवश्यक है। खंड 30 के अनुसार, इंजीनियर के लिए ठेकेदार के कार्य की जांच करना और कमियों/दोषों को अधिसूचित करना आवश्यक था। खंड 32 के अनुसार, ठेकेदार के लिए उन दोषों को दूर करना आवश्यक था। खंड 47.1 के अनुसार, दोषों को दूर करने की लागत का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक था। खंड 50 अंतिम खाते से संबंधित है। खंड 52 अनुबंध की समाप्ति से संबंधित है। खंड 52.2 का उप-खंड (छ) अन्य गलतियों सहित धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार से संबंधित है, जो इस प्रकार है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"52.2 अनुबंध के मौलिक उल्लंघनों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

.....

.....

.....

ग) यदि नियोक्ता के निर्णय में, ठेकेदार ने अनुबंध हेतु प्रतिस्पर्धा करने या उसके निष्पादन के दौरान भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार किया है। इस खंड के प्रयोजन हेतु, "भ्रष्ट व्यवहार" का अर्थ किसी सार्वजनिक अधिकारी के कार्यों को खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में प्रभावित करने हेतु मूल्यवान वस्तु देना, पेश करना, प्राप्त करना या

मांगना है। "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" का अर्थ तथ्यों का गलत निरूपण करना है ताकि खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को नियोक्ता के अहित में प्रभावित किया जा सके, और इसमें बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत भी सम्मिलित है (बोली जमा करने से पूर्व या बाद में), जिसे बोली प्रक्रिया को कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर स्थापित करने और नियोक्ता को स्वतंत्र व खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने हेतु तैयार किया गया हो।

अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 53 अनुबंध की समाप्ति से संबंधित है और अन्य उप-खंड समाप्ति के उल्लंघन से संबंधित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार अनुबंध के नमूने और शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य था। याचिकाकर्ता मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शंस, नया बस स्टैंड, कुरूद, जिला धमतरी का एक भागीदार है। कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना कार्यान्वयन इकाई-1 की लिखित शिकायत के आधार पर, पुलिस थाना पथरिया द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471, 409 एवं 468 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध क्रमांक 10/2009 दर्ज किया गया है। लिखित शिकायत में, याचिकाकर्ता और उसकी भागीदारी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कृत्यों का उल्लेख किया गया है: -

"विषयांतर्गत अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला बिलासपुर के अंतर्गत विकास खण्ड पथरिया के अंतर्गत पैकेज क्र. सीजी-02-51 के 7 नग सड़कों में अनियमितता कर ठेकेदार मे. बालाजी कंस्ट्रक्शन, न्यू बस

स्टेण्ड के पास कुरूद, जिला-धमतरी द्वारा गैर संपादित एवं अमानक स्तर के कार्यों के लिए धोखाधड़ी कर राशि रू. 400.12 लाख अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। उक्त राशि में से रूपए 30.00 लाख ही कार्यालय में जमा किया गया है। शेष राशि रू. 370.12 लाख जमा नहीं किया गया है, जिसके लिए निम्नानुसार संबंधितों के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का कष्ट करें।"

5. कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव द्वारा जारी दिनांक 21-7-2008 के पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता की कंपनी ने आवश्यक गुणवत्ता का निर्माण नहीं किया है और बिना निर्माण एवं कार्य के ही कंपनी ने बिल प्रस्तुत कर 279.85 लाख रुपये प्राप्त कर लिए हैं। दिनांक 7-1-2009 के पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता की कंपनी 511.60 लाख रुपये के भुगतान हेतु उत्तरदायी है और याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा किया गया निर्माण निम्न-स्तरीय गुणवत्ता का था। लिखित शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने की प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य अनुबंध के नियमों और शर्तों के अंतर्गत पूर्णतः शामिल होता है, जिसमें उपचार प्रदान किया गया है। निम्न-स्तरीय कार्य की स्थिति में, प्रथम पक्ष (नियोक्ता) निरीक्षण करने और सुधार हेतु निर्देशित करने का हकदार था और अनुपालन न होने की स्थिति में, प्रथम पक्ष धनराशि वसूलने और मध्यस्थता का सहारा लेने का हकदार है। इसलिए, अमानक कार्य और धन का अधिक भुगतान भी अपराध की विषय-वस्तु नहीं होगी और यह पूरी तरह से अनुबंध के दायरे में आएगा। इन परिस्थितियों में, ऐसे दीवानी विवाद से संबंधित प्रथम सूचना प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता के प्रयोग में अभिखण्डित किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अनुबंध की

सामान्य शर्तों के खंड 16.1, 23.1, 24, 30, 32, 32.1.1, 47.1, 50.2, 52.2 (ड) एवं (ग), 53.1, 53.2; अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 4.3, 4.6, 9, 11 (**iii**), (**iv**), (**v**), 17 से 23 और पक्षकारों के बीच हुए पत्राचार के आलोक में, पक्षकारों के बीच का विवाद पूरी तरह से एक दीवानी विवाद है। याचिकाकर्ता या उसकी कंपनी ने कोई अपराध नहीं किया है, कार्य में किसी भी दोष को प्रथम पक्ष द्वारा निरीक्षण और निर्देश के बाद याचिकाकर्ता द्वारा सुधारा जाना अपेक्षित है। अंतिम बिल न तो दावा किया गया है और न ही उसका भुगतान किया गया है। रनिंग बिल के मामले में, पक्षकारों को केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रथम दृष्टया प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। हालांकि, अंतिम भुगतान के समय, अनुबंध के अनुसार कार्य की पूर्णता सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इसलिए, अंतिम बिल से पूर्व कोई भी कार्रवाई असामयिक है। धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार और अमानक कार्य सहित कार्य में कोई भी दोष भी अनुबंध का विषय है और उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से या अंततः मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना आवश्यक है। पक्षकारों ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया है। किसी भी दाण्डिक तत्व, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की शुरुआत से ही दुर्भावना और बेईमानी के आशय के अभाव में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन.ई.पी.सी. इंडिया लिमिटेड एवं अन्य**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभीअभिनिर्धारित किया है कि अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवादों के मामले में पक्षकारों को दीवानी उपचार उपलब्ध होगा, किंतु यदि आरोप किसी दाण्डिक अपराध को प्रकट करते हैं, तो दण्ड विधि के तहत उपचार वर्जित नहीं है। हालांकि, दीवानी

[1] **(2006) 6 एससीसी (SCC) 736**

विवादों में अनुचित दबाव डालने हेतु दाण्डिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की वर्तमान परिपाटी की निंदा की जानी आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **शैरॉन माइकल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य**[2] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिअभिनिर्धारित किया है कि अपराध के गठन के तत्वों के अभाव में दीवानी विवाद के मामले में, सम्मन किया जाना और दाण्डिक कार्यवाही अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और यह निवेदित किया कि संज्ञेय अपराध किए जाने को दर्शाने वाली लिखित शिकायत के आधार पर, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की है; अन्वेषण अभिकरण के लिए मामले की अन्वेषण करना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अपनी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने की स्थिति में, अभियुक्त पर आरोप लगाने के लिए अभियोग-पत्र दाखिल करना सदैव आवश्यक नहीं होता है, यदि अन्वेषण अभिकरण अन्वेषण के बाद यह पाती है कि उसके द्वारा एकत्र की गई सामग्री अभियुक्त के अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है या एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, तो अन्वेषण अभिकरण के लिए खात्मा प्रतिवेदन दाखिल करना आवश्यक है। अतः, याचिकाकर्ता के लिए अन्वेषण पूरा होने तक प्रतीक्षा करना आवश्यक है और इस स्तर पर, याचिका अपरिपक्व है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे यह निवेदित किया कि किसी भी दुर्भावना के अभाव में या इस तथ्य के अभाव में कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध कारित किया जाना को प्रकट नहीं करती है, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वैकल्पिक उपचार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] **(2009) 3 एससीसी (SCC) 375**

उपलब्ध है और याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने हेतु मामला बनाने में विफल रहा है।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाण्डिक कार्यवाही को अभिखण्डित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में यह अभिअभिनिर्धारित किया है कि सामान्यतः पाँच परिस्थितियों में शिकायत को अभिखण्डित किया जा सकता है और अपने निर्णय के कंडिका 12 में निम्नानुसार अवधारित किया है: -

> **"12.** शिकायतों और दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में प्रतिपादित और दोहराया गया है। कुछ का उल्लेख करने के लिए— माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे[3], हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल[4], रूपन देयोल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल[5], केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड[6], बिहार राज्य बनाम राजेंद्र अग्रवाल[7]।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] **(1988) 1 एस.सी.सी. 692: 1988 एस.सी.सी. (आपराधिक) 234**

[4] **1992 अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 335: 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 426**

[5] **(1995) 6 एस.सी.सी. 194: 1995 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1059**

[6] **(1996) 5 एस.सी.सी. 59: 1996 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1045**

[7] **(1996) 8 एस.सी.सी. 164: 1996 एस.सी.सी. (आपराधिक) 628**

राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली[8], मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड[9], हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य[10], एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह[11], और झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. शराफुल हक[12]।"

हमारे उद्देश्य के लिए सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

(i) एक शिकायत को वहां अभिखण्डित किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप, यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, तो भी वे प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कथित मामला नहीं बनाते हैं।

इस प्रयोजन के लिए, शिकायत की संपूर्णता में जांच की जानी चाहिए, लेकिन आरोपों के गुणों की जांच किए बिना। शिकायत को अभिखण्डित करने की प्रार्थना पर विचार करते समय न तो विस्तृत जांच, न ही सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण और न ही शिकायत में आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता का मूल्यांकन आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) एक शिकायत को वहां भी अभिखण्डित किया जा सकता है जहां यह न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हो, जैसे कि जब दाण्डिक कार्यवाही प्रतिशोध लेने या नुकसान पहुँचाने के लिए दुर्भावना/द्वेष के साथ

शुरू की गई पाई जाती है, या जहां आरोप बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हों।

---

[8] **(1999) 3 एस.सी.सी. 259: 1999 एस.सी.सी. (आपराधिक) 401**

[9] **(2000) 3 एस.सी.सी. 269: 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक) 615**

[10] **(2000) 4 एस.सी.सी. 168: 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक) 786**

[11] **(2001) 8 एस.सी.सी. 645: 2002 एस.सी.सी. (आपराधिक) 19**

[12] **(2005) 1 एस.सी.सी. 122: 2005 एस.सी.सी. (आपराधिक) 283**

(iii) हालांकि, अभिखण्डित करने की शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन का गला घोंटने या उसे विफल करने के लिए नहीं किया जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग विरल रूप से और अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(iv) शिकायत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कथित अपराध के विधिक तत्वों को शब्दशः पुनरुत्पादित करे। यदि शिकायत में आवश्यक तथ्यात्मक आधार रखा गया है, तो केवल इस आधार पर कि कुछ तत्वों को विस्तार से नहीं बताया गया है, कार्यवाही को अभिखण्डित नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत को अभिखण्डित करना केवल वहीं न्यायोचित है जहाँ शिकायत उन बुनियादी तथ्यों से इतनी रहित हो जो अपराध को सिद्ध करने के लिए नितांत आवश्यक हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) तथ्यों का एक दिया गया समूह निम्नलिखित का गठन कर सकता है: (a) विशुद्ध रूप से एक दीवानी अपकृत्य; या (b) विशुद्ध रूप से एक दाण्डिक अपराध; या (ग) एक दीवानी दोष के साथ-साथ एक दाण्डिक अपराध भी। एक व्यावसायिक लेन-देन या एक संविदात्मक विवाद, जो दीवानी विधि में उपचार खोजने के लिए वाद-कारण प्रदान करने के अलावा, एक दाण्डिक अपराध भी शामिल कर सकता है। चूंकि दीवानी कार्यवाही और दाण्डिक कार्यवाही की प्रकृति और दायरा अलग-अलग होता है, इसलिए केवल यह तथ्य कि शिकायत एक व्यावसायिक लेन-देन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके लिए दीवानी उपचार उपलब्ध है या उसका उपयोग

किया गया है, अपने आप में दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने का आधार नहीं है। कसौटी यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप दाण्डिक अपराध को प्रकट करते हैं या नहीं।"

10. प्रथम सिद्धांत के अनुसार, एक शिकायत को वहां अभिखण्डित किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अक्षरशः स्वीकार कर लिया जाए और संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

11. वर्तमान मामले में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है और शिकायत का वह हिस्सा जैसा कि इस आदेश के कंडिका 4 में उद्धृत किया गया है, स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करता है। अन्य बातों के साथ-साथ, प्रथम सूचना प्रतिवेदन संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करती है।

12. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने व्यावसायिक हलकों में किसी व्यक्ति को दाण्डिक कार्यवाही में घसीटने की प्रवृत्ति पर विचार किया है जो विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद हैं और अपने निर्णय के कंडिका 13 में निम्नानुसार अवधारित किया है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"13.** इस प्रश्न पर, व्यावसायिक क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से दीवानी विवादों को दाण्डिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर संज्ञान लेना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से इस प्रचलित धारणा के कारण है कि दीवानी विधि के उपचार समय लेने वाले हैं और ऋणदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई पारिवारिक विवादों में भी देखी जाती है, जिससे विवाह/परिवारों का अपरिवर्तनीय विघटन होता है। यह धारणा भी है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह दाण्डिक अभियोजन में फँसा दिया जाए, तो तत्काल समझौते की संभावना होती है। दीवानी विवादों और दावों, जिनमें कोई
>
> दाण्डिक अपराध शामिल नहीं है, को दाण्डिक अभियोजन के माध्यम से दबाव डालकर निपटाने के किसी भी प्रयास की निंदा की जानी चाहिए और उसे

हतोत्साहित किया जाना चाहिए। **जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[13] में इस न्यायालय ने अवधारित किया था: (एस.सी.सी. पृष्ठ 643, कंडिका 8)"

> "यह देखा जाना चाहिए कि क्या एक मामला, जो अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति का है, उसे दाण्डिक अपराध का आवरण दिया गया है। दाण्डिक कार्यवाहियाँ विधि में उपलब्ध अन्य उपचारों का संक्षिप्त रास्ता नहीं हैं। प्रक्रिया जारी करने से पहले एक दाण्डिक न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला है। इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है। इस धारा के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **शारोन माइकल** (उपरोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के किए जाने के तत्वों और दीवानी विवाद के अभाव में, दाण्डिक कार्यवाही को अभिखण्डित करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, अन्वेषण अभिकरण ने मामले की अन्वेषण नहीं की है। याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने के लिए याचिका दायर की है, जो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करती है। **शारोन माइकल** (उपरोक्त) का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है।

14. प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **सतविंदर कौर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) एवं अन्य**[14] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रथम दृष्टया अपराध के किए

---

[13] **(2000) 2 एस.सी.सी. 636 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक) 513**

[14] **(1999) 8 एस.सी.सी. 728**

जाने को प्रकट करती है, तो न्यायालय सामान्यतः अन्वेषण को नहीं रोकता है। उक्त निर्णय का कंडिका 14 निम्नानुसार है: -

> **"14**. इसके अतिरिक्त, विधिक स्थिति भली-भांति स्थापित है कि यदि कोई अपराध प्रकट होता है, तो न्यायालय सामान्यतः मामले की अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कथित अपराध की अन्वेषण पूरी होने देगा। यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रथम दृष्टया, अपराध के किए जाने को प्रकट करती है, तो न्यायालय सामान्यतः अन्वेषण को नहीं रोकता है, क्योंकि ऐसा करना पुलिस की संज्ञेय अपराधों की अन्वेषण करने की वैध शक्ति का अतिक्रमण करना होगा। इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा यह भी स्थापित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत को अभिखण्डित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को पूरी तरह से शिकायत या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा; उसे स्वतः आरोपों की सत्यता या अन्यथा की अन्वेषण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंगा स्वामी एवं अन्य**[15] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में बिना कुछ घटाए या बढ़ाए, उसके वृत्तांतों से अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए। यद्यपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन का उद्देश्य पृष्ठभूमि के परिदृश्य का ज्ञानकोश होना नहीं है, फिर भी इसके अत्यंत संक्षिप्त विवरण से अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 12 निम्नानुसार है: -

> **"12**. जहाँ तक वर्ष 2003 की दाण्डिक अपील संख्या 1183, 1193-96 और एस.एल.पी. (दाण्डिक) संख्या 2191, 2632-33 और 203 की 3463 से उत्पन्न दाण्डिक अपीलों का संबंध है, हम पाते हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में बिना

[15] **(2004) 6 एस.सी.सी. 522**

कुछ घटाए या बढ़ाए, उसके वृत्तांतों से अपराध का किया जाना प्रकट नहीं हुआ था। यद्यपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन का उद्देश्य पृष्ठभूमि के परिदृश्य का ज्ञानकोश होना नहीं है, फिर भी इसके अत्यंत संक्षिप्त विवरण से अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए। इन मामलों में स्थिति ऐसी नहीं है। अतः, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा दर्शाए गए तर्कों को हमारी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।"

16. **रुक्मिणी नार्वेकर बनाम विजया सातारडेकर एवं अन्य**[16] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के समय मामले पर गौर किया जाना आवश्यक है अतः प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 18 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"18. यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरवादी रंजीत सातारडेकर ने उच्च न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिए थे, उन पर उसके विचारण के समय विचार किया जा सकता था, और इस स्तर पर दाण्डिक कार्यवाही को समय-पूर्व रोकना उचित नहीं होगा। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उसके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक अधिवक्ता और उसके पक्षकार का संबंध एक वैश्वासिक संबंध की तरह होता है, और अधिवक्ता को अपने पक्षकार के हित में कार्य करना होता है। हालांकि, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह आरोप है कि रंजीत सातारडेकर ने शिकायतकर्ता और उसके पति को पूर्वोक्त तरीके से धोखा दिया। ये ऐसे मामले हैं जिन पर दाण्डिक मामले में विचारण न्यायालय को गौर करना चाहिए, और हम इस प्रश्न पर किसी भी तरह की कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि, हमारी यह राय है कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद

[16] (2008) 14 **एस.सी.सी.** 1

226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में रंजीत सातारडेकर के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था।"

17. वर्तमान मामले में, लिखित शिकायत और प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी ने निम्न-स्तरीय सड़क का निर्माण किया है और बिना किसी औचित्य के, उन्होंने यह दिखाते हुए भारी राशि का दावा किया है और उसे प्राप्त किया है कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी की धोखाधड़ी से संबंधित दाण्डिक मंशा इसके प्रारंभ से ही थी। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों को अक्षरशः स्वीकार कर लिया जाए और पूर्णता में मान लिया जाए, तब भी उपरोक्त अपराधों के लिए याचिकाकर्ता का अभियोजन संभव न हो। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत हो सकते हैं और उन पर विचारण एवं बचाव के समय विचार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. लिखित शिकायत और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी ने सार्वजनिक कार्य, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी की है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। पंजीकृत अपराधों की अभी भी अन्वेषण की जानी आवश्यक है और अन्वेषण अभिकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह याचिकाकर्ता के अभियोजन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन दाखिल करे, या याचिकाकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध न किए जाने या अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर खात्मा प्रतिवेदन दाखिल करे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु, जो अपराध के किए जाने को प्रकट करती है, पर विचार करते हुए, मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने का कोई आधार नहीं मिलता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को अभिखण्डित करने के किसी भी आधार के अभाव में, मैं याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने या याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कदम न उठाने के लिए निर्देश देने या अन्य रिट जारी करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ।

19. अतः, यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है और एतदद्वारा खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ता/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur